

rfc

869

RAJASTHAN FINANCIAL CORPORATION
Udyog Bhawan, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur-302005.

Ref.No.RFC/F.Law-3/LPM/11/ 311


Dated: 4th April, 2016

CIRCULAR
(Lit. No. 228)

Sub: **Taking of decision for filing of appeal/no appeal in time**

The Law & Legal Affairs Deptt, GoR vide their circular No. . P.9(i)(5) L-6T/16 dated 24.02.2016 has taken a serious view that sometimes after passing of judgement by any of the court decision is not being taken in time that whether appeal in the case is required to be filed or not and due to this unwarranted delay, Government has been put to face abnormal situation in the courts and even sometimes has to face contempt of the court and revenue loss also, hence it has been directed that in future, if any appeal is required to be filed before the Hon'ble Court in any case than it should be filed within time limit positively to avoid such unpleasant situation. Failure to this may attract disciplinary action against the erring officer(s) as per norms. It has also been directed to ensure that no such case is pending and guidelines regarding limitation for filing of appeal/no appeal are being adhered strictly. Copy of the above said circular alongwith direction of Industries Deptt., GOR dt. 01.03.2016 is being enclosed for compliance and ready reference.

Accordingly, all concerned are advised to adhere the guidelines regarding limitation for filing of appeal/no appeal strictly to avoid unpleasant/awkward position.


(Sanjay Sharma)
Executive Director

Encl: as above

Copy to:

1. All BOs/FCs
2. Standard Circulation at HO
3. Manager (MS), RFC, HO for hoisting on website.

MD 1155
3/3/16

ED
28/2/16

858
868

राजस्थान सरकार
उद्योग (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक:- प. 7(56)उद्योग/1/2013

जयपुर, दिनांक: 24.02.2016

1. प्रबंध निदेशक, रीको लि0, जयपुर।
2. आयुक्त, उद्योग विभाग, जयपुर।
3. प्रबंध निदेशक, राजस्थान वित्त निगम, जयपुर।
4. आयुक्त, बी0आई0पी0, जयपुर।

ED
Mav (Yc) Law

विषय:- न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय उपरान्त अपील/नो-अपील का समय सीमा में निर्णय के संबंध में।

संदर्भ:- प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग के परिपत्र क्रमांक: प.9(i)(5)/एल-6टी/16 दिनांक 24.02.2016 .

महोदय,

3 MAR 2016

उपरोक्त विषयान्तर्गत विधि एवं विधिक कार्य विभाग से प्राप्त संदर्भित परिपत्र की प्रति संलग्न कर निर्देशानुसार निवेदन है कि आपके विभाग/निगम से संबंधित न्यायिक प्रकरणों में न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय उपरान्त अपील/नो-अपील के समय सीमा में निर्णय के संबंध में विधि विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित कराने का श्रम करावें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(इकबाल अली)
संयुक्त शासन सचिव

P. 7.0.

08
25/2/16

राजस्थान-सरकार

1092820
29/2/16

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक: पं.9(i)(5)/एल-6टी/16

जयपुर, दिनांक: 25/2/16

परिपत्र

विधि विभाग द्वारा समस्त प्रशासनिक विभागों को समय-समय पर निर्देश एवं परिपत्र जारी कर सूचित किया जाता रहा है कि विभिन्न न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय उपरान्त अपील/नो अपील का निर्णय यथा-शीघ्र लिया जाकर समय सीमा में विधि विभाग को अन्तिम विनिश्चय हेतु पत्रावलियाँ भेजी जावें। इसके बावजूद प्रारम्भिक शिक्षा विभाग द्वारा एक प्रकरण श्रीम न्यायालय, चित्तौड़गढ़ द्वारा निर्णीत प्रकरण संख्या एल.सी.आर. 167/2001 श्रीमती शान्ता बाई बनाम विकास अधिकारी चित्तौड़गढ़ में पारित अवार्ड दिनांक 26.05.2004 के विरुद्ध अपील/नो अपील के निर्णय हेतु पत्रावली लगभग 11 वर्ष 6 माह पश्चात् अत्याधिक विलम्ब से विधि विभाग को प्रेषित की गयी है, जिसे राज्य सरकार द्वारा गंभीरता से लिया गया है। ऐसे प्रकरणों में दोषी अधिकारियों/कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जानी अपेक्षित है।

JS-1/DS.50
25-2-16

अतः समस्त प्रशासनिक विभागों से अपेक्षा की जाती है कि वे संबंधित समस्त न्यायिक प्रकरणों में पारित निर्णय/आदेश में समयावधि व्यतीत होने से पूर्व प्रशासनिक निर्णय लेते हुए प्रकरणों में अग्रिम कार्रवाई हेतु विधि विभाग को प्रेषित करने की व्यवस्था करें, जिससे भविष्य में ऐसी असामान्य स्थिति उत्पन्न न हो। ऐसा न करने पर सरकार को न केवल न्यायालय-अवमानना का सामना करना पड़ता है, अपितु ब्याज के रूप में आर्थिक भार भी वहन करना पड़ता है। अतः कृपया सुनिश्चित करें कि आपके विभाग में ऐसे कोई प्रकरण अपील/नो अपील के निर्णय हेतु लम्बित नहीं हैं।

JS-1/DS.50

-80

प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय विधि मंत्री, राजस्थान-सरकार को उनकी आई.डी.संख्या 61/एम/विधि/2016 दिनांक 05.02.2016 के क्रम में।
2. प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान उपक्रम विभाग
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि, महोदय
4. रक्षित पत्रावली।

25.2.16
शासन सचिव, विधि